न्यायालय–द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश जबलपुर (म0प्र0)
(पीठासीन – सुनील मालवी)

Filing No.CRA-31/2025
Filing Date-24-01-2025
CNR No. MP2001-003643-2025

राकेश कुमार यादव पिता कोमल यादव,
निवासी– अशोक कुमार पटेल के मकान में,
ऋषि किराना स्टोर के बाजू में, प्रोफेसर कालोनी,
सुहागी, अधारताल, जिला जबलपुर (म0प्र0)

–अपीलार्थी/अभियुक्त

– : : विरूद्ध : : –

रामकिशोर तिवारी पिता शिवरतन तिवारी,
उम्र– 48 वर्ष, निवासी– 545, कृष्णा मार्ग,
सुहागी, अधारताल, जिला जबलपुर म0प्र0

–प्रत्यर्थी/परिवादी

प्रतिलिपि आदेश दिनांक–12.01.2026

अपीलार्थी/अभियुक्त अनुपस्थित। उसकी ओर से श्री इस्तियाक अहमद अधिवक्ता उपस्थित।

प्रत्यर्थी/परिवादी रामकिशोर तिवारी सहित श्री सत्येन्द्र सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के जवाब एवं अंतिम तर्क हेतु नियत है।

1. अनुपस्थित अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से श्री इस्तियाक अहमद अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत

धारा 355 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त शहर के बाहर गया हुआ होने से आज उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उसकी अनुपस्थिति से माफी प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

2. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा राजीनामा करने हेतु लगातार समय लिया गया होने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्यवाही नही गयी है और अपीलार्थी/अभियुक्त बाहर कहां और किस शहर में तथा किस कार्य से गया है, इसका कोई उल्लेख आवेदन पत्र में नही है और मात्र औपचारिक आधार पर आवेदन पेश किया है जो सदभाविक नही होने से निरस्त किया जाता है।

3. प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त के आवेदन पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्षों के तर्क सुने गए।

4. अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5. अपीलार्थी/अभियुक्त का आवेदन धारा 5 परिसीमा अधिनियम का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत अपील 30 दिन में प्रस्तुत करना था परंतु अपीलार्थी/अभियुक्त ने उक्त अपील लगभग 1 वर्ष 120 दिन बाद प्रस्तुत की है। अपीलार्थी/अभियुक्त अपने दैनिक मजदूरी करने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था उसे विधि की जानकारी न होने से एवं उसका अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं हो पाया, जिस कारणर उसे यह ज्ञात नहीं था कि उक्त पारित आदेश की अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है। उक्त विलंब पूर्णतः सदभाविक है। आवेदन के समर्थन में अपीलार्थी/अभियुक्त के भाई मुकेश यादव का शपथ पत्र संलग्न कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

6. प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के भाई को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और अपील प्रस्तुत करने में हुए अत्यधिक विलंब का सदभाविक कारण उल्लेखित नहीं किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त किस कार्य से शहर के बाहर गया था इस संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलंब

कारित किया गया है। अतः आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

7. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रत्यर्थी/परिवादी के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के संबंध में परिवाद प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचारण न्यायालय के द्वारा गुणदोषों पर सुनवाई करते हुए दिनांक 12.09.2023 को पारित निर्णय अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाकर 06 माह का कठोर कारावास और धारा 357(3) दंप्रसं के अंतर्गत ब्याज सहित कुल 76,200/– रूपये के प्रतिकर और प्रतिकर के व्यतिक्रम में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के दंडादेश से दंडित किया है और उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी/अभियुक्त को 30 दिवस की अवधि के भीतर वैधानिक रूप से अपील प्रस्तुत करना थी। जबकि अपीलार्थी/अभियुक्त ने उक्त निर्धारित विधिक अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करते हुए दिनांक 24.01.2025 को करीब 01 वर्ष 04 माह के विलंब से यह अपील प्रस्तुत की है।

8. परिसीमा अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के संबंध में न्यायदृष्टांत मोहनलाल विरूद्ध तेमल इडल 2000(2) एम.पी.वीकली.नोट 47 में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां न्यायालय का आवेदक के स्द्भाव से युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जावे वहां विलंब के दिनों की गणना गणितीय आधार पर नहीं की जाकर वास्तविक न्याय किये जाने के लिये विलंब को माफ किया जाना चाहिये। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत एस.एन. सक्सेना विरूद्ध म.प्र. राज्य 2003(1) एम.पी.वकीली.नोट 27 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां विलंब जान–बूझकर नहीं किया गया हो और उसका पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है तो विलंब सारवान् न्याय को विफल नहीं कर सकता है और तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध नहीं बनाया जा सकता, इन परिस्थितियों में अभिव्यक्ति का उदार अर्थान्वयन किया जाना चाहिये तथा सारवान न्याय प्रदान करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। न्यायदृष्टांत इंदरमल विरूद्ध शम्भूदयाल 2007(1) एम.पी.एल. जे.123 में परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा की विधि शांति की विधि है और जहां ऐसी सद्भावना का अभाव हो जिसके चलते विलंब से माफी चाहने वाले

व्यक्ति की घोर उपेक्षा के कारण दूसरे पक्ष को अधिकार मिला हो तो उसे छोड़कर न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये इस अधिनियम के उपबंधों का उदारतापूर्वक निर्वचन करना चाहिये। न्यायदृष्टांत रफीक आदि विरूद्ध मुंशीलाल आदि, 1981 ए.आई.आर 1400 तथा हाकम सिंह विरूद्ध म.प्र.राज्य 2022 (1) एम पी एल जे, 52 में अवधारित किया गया है कि सदभाविक पक्षकार को अधिवक्ता की त्रुटि के लिए जिम्मेदार नही माना जा सकता है और विलंब हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में यदि सदभाविक कारण दिये गये है तो प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकारण देना आवश्यक नही है। उपरोक्त विधि प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विधि विलंब का सदभाविक कारण प्रस्तुत किया जाता है तो विलंब की अवधि महत्वहीन मानते हुए अत्यधिक लंबे विलंब को भी क्षमा किया जा सकता है।

9. उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण की कार्यवाही के दौरान अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहा है और जब प्रकरण दिनांक 08.09.2023 को अंतिम तर्क हेतु नियत था उक्त दिनांक को भी अपीलार्थी/अभियुक्त उसके अधिवक्ता के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और अंतिम तर्क किये गये। उसके पश्चात प्रकरण दिनांक 12.09.2023 को निर्णय हेतु नियत किया गया और इस दिनांक को भी अपीलार्थी/अभियुक्त अपने अधिवक्ता के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित था और विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्तानुसार दोषसिद्धि का दंडादेश पारित किया गया और अपीलार्थी/अभियुक्त के निवेदन पर ही उसके विरूद्ध पारित दोषसिद्धि व दंडादेश अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दंडादेश के संबंध में स्थगन प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी/अभियुक्त ने समय प्रदान किया गया। इन परिस्थितियों में यह कदापि नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त का उसके अधिवक्ता से संपर्क नहीं हुआ और उसे अपील प्रस्तुत करने संबंधी विधि जानकारी नहीं थी। इस संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से आवेदन पत्र में दर्शित कारण किसी प्रकार से सदभाविक होना नहीं माने जा सकते है। इसी के साथ अपीलार्थी/अभियुक्त ने आवेदन पत्र में विलंब का कारण दैनिक मजदूरी हेतु शहर से बाहर चले जाना

भी बताया है। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण की कार्यवाही की जानकारी प्रारंभ से अंत तक अपीलार्थी/अभियुक्त को रही है और अपीलार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति में ही उसके विरूद्ध दोषसिद्धि का दंडादेश पारित किया गया है और अपीलार्थी/अभियुक्त ने विचारण न्यायालय से दोषसिद्धि व दंडादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु समय प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं की और अपीलार्थी/अभियुक्त इतनी लंबी अवधि तक किस प्रकार का कार्य करने और किस स्थान पर गया इस संबंध में कोई भी स्पष्ट उल्लेख न तो आवेदन पत्र में किया गया है और न ही इस बावत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है तथा आवेदन पत्र के समर्थन में अपीलार्थी/अभियुक्त ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते हुए अपने भाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और उसका कोई स्पष्टीकरण भी शपथ पत्र व आवेदन पत्र में नहीं दिया है। अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब का जो कारण दर्शाया गया है वह उपरोक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में किन्हीं भी परिस्थितियों में सद्भाविक और युक्तियुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

10. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम का सव्यय निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह नियमित अपील अवधि बाधित होने के आधार पर निरस्त की जाती है।

11. अभियुक्त जमानत पर होकर अनुपस्थित है। अतः अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। मूल अभिलेख विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार यादव पिता कोमल यादव, निवासी– अशोक कुमार पटेल के मकान में, ऋषि किराना स्टोर के बाजू में, प्रोफेसर कालोनी, सुहागी, अधारताल, जिला जबलपुर (म0प्र0)को तलब किया जाकर अभिलेख में संलग्न सजा वारंट के अनुसार सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल जबलपुर भेजा जावे।

12. आदेश की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस भेजा जावे।

13. प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सुनील मालवी)
अपर सेशन न्यायाधीश (द्वितीय),
जबलपुर (म.प्र.)

SUNIL MALVIYA

Digitally signed by SUNIL MALVIYA
Date: 2026.01.12 16:49:16 +0530